रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 717] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 1992/कार्तिक 21, 1914
No. 717] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 1992/KARTIKA 21, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1992

का.आ. 832(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि तकनीकी कारणों से मैसर्स गोदरेज फूड्स लिमिटेड, मुम्बई और मैसर्स केरल को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, त्रिवेंद्रम के लिए बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977

की तृतीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मानक मात्रा में, यथास्थिति टैट्रापैक में वनस्पति और घी को पहले से पैक करना संभव नहीं है ।

अत, अब केन्द्रीय सरकार बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के नियम 5 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स गोदरेज फूड्स लिमिटेड, मुम्बई को वनस्पति और मैसर्स केरल कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड तिवेंद्रम को घी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 200 मिली, 500 मिली और एक लीटर की मात्राओं में परिमाण द्वारा टैट्रापैक में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए पहले से पैक करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् —

(1) यह कि ऊपर निर्दिष्ट दोनों कपनी और फैडरेशन पैकेज पर डिग्री सैल्सियस में उस तापमान को, जिस पर वनस्पति या घी पैक किया गया है, घोषित करेगी ।

(2) यह कि उक्त कपनी और फैडरेशन पैकेज पर मुख्य प्रदर्शन पैनल पर शुद्ध परिमाण की घोषणा सहित वनस्पति या घी का शुद्ध भार घोषित करेगी,

(3) यह कि शुद्ध भार की घोषणा में किसी अक्षर या संख्या की लंबाई और चौड़ाई शुद्ध परिमाप की घोषणा में प्रयुक्त किसी अक्षर की लंबाई और चौड़ाई से कम नहीं होगी , और

(4) यह कि पूर्वोक्त कपनी और फैडरेशन पैकेज पर सभी करों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम फुटकर कीमत के अतिरिक्त यूनिट विक्रय कीमत अर्थात् प्रति किलोग्राम की घोषणा करेगी ।

[फा स डब्ल्यू एम 10(14)/92]
सती नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1992

S.O. 832(E).—Whereas the Central Government is satisfied that for technical reasons it is not possible for M|s. Godrej Foods Limited, Bombay and M|s. Kerala Cooperative Milk Marketing Federation Limited, Trivandrum to pre-pack vanaspati and ghee, respectively in tetrapak in the standard quantity as specified in the Third Schedule to the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to rule 5 of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, the Central Government hereby authorises M|s Godrej Foods Limited, Bombay to prepack vanaspati and M|s. Kerala Cooperative Milk Merketing Federation Limited, Trivandrum to pre-pack ghee in tetrapak by volume in the quantities of 200 ml, 500 ml, and one litre for a period of three years from the date of publication of t his notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely :—

(i) that both the company and federation referred to above shall declare on the package the temperature in degree celsius, at which the vanaspati or ghee has been packed;

(ii) that the said company and federation shall declare on the package the net weight of vanaspati or ghee together with the declaration of net volume on the principal display panel;

(iii) that the height and width of any letter or number in the declaration of net weight shall not be less than the height and width of any letter used in the declaration of net volume; and

(iv) that the aforesaid company and federation shall declare on the package the unit sale price, that is the price per kilogram in addition to the maximum retail price inclusive of all taxes.

F. No. WM-10(14)/92

SATHI NAIR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992